

63-08.

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाई गई।
अपीलाट पक्षकार उपस्थित नहीं और ना-
कार्यालय नोटिस लेंटे। अतः पत्रावली अफम
द्वारा, अफम पत्रों में खारिज की जाती है।
पत्रावली फंसल शुभार होकर नम्बर से कम की
आकर, बाद जाला दारिखत दफ्तर से।

शु प्रबन्ध अधिकारी

पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी

भारतपुर (राज.)